DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative & other matters)
Monday, 06 June, 2016/ 16 Jyaistha 1938 (Saka)

No.54

COMMENCEMENT OF THE FOURTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fourth Session of Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Thursday, 09 June 2016 at 02.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FOURTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY:

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 09 and 10 June, 2016.

TIME OF SITTING:

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

MEMBERS PARTICIPATION IN THE DEBATE:

Members who desire to participate in the debate/discussions during the session are requested to forward their requests to the Assembly Secretary through their concerned Party Leaders.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 04.00 P.M. on the date preceeding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.00 AM on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:

(1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46**

(c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 09.06.2016 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 08.06.2016. Similarly, application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and also to ensure that their guests in the visitor's gallery do not clap or hoot.

NOTE:- CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग–2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

सोमवार, 06 जून, 2016, / 16 ज्येष्ठ, 1938 (शक)

संख्या–54

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के चौथे सत्र का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छठी विधान सभा का चौथा सत्र वीरवार दिनांक **09 जून, 2016 को अपराह्न 02.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054** में प्रारंभ होगा।

चौथे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें स्थायी तौर पर 09 एंव 10 जून, 2016 के लिए निर्धारित की गई हैं।

विधान सभा की बैठकों का समय :

विधान सभा की बैठकें अपराह्न 02.00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

चर्चा में सदस्यों का भाग लेना :

जो माननीय सदस्य सत्र के दौरान किसी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित दल के नेता के माध्यम से अपना नाम विधान सभा सचिव को भेजें।

विशेष उल्लेख (नियम–280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 04.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। बैलेटिंग की प्रकिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रकिया :

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से है:–

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को

छोड़कर प्रत्येक दिन समय समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।

2. सूचना कार्यालय में उप नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए। **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में स्थित है।**

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

(घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/ शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ड.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक दीर्घा

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने हेतु आवेदन–पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 10/06/2016 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 09/06/2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। इसी प्रकार दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र हेतु आवेदन भी एक कार्य दिवस पूर्व 5.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे और अगले दिन जारी किये जाएंगे

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश–पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली–भांति जानते हैं और यह सुनिश्चित करें कि दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति न तो तालियाँ बजाए और न ही शोर मचाए।

टिप्पणीः

कृपया मोबाइल, अन्य संचार उपकरण एवं इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव